

फार्म डी - 6

(दखें नियम-4)

गारण्टी विमोचन निधि (जी.आर.एफ.)

(राशि करोड़ में)

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| पिछले वर्ष के अंत में याचित बकाया गारण्टी | पिछले वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि | चालू वर्ष के दौरान याचना संभावित बकाया गारण्टी | चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में जोड़ | चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से आहरण | चालू वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

टिप्पणियाँ:

1.जी.आर.एफ. के नियमानुसार, हर वर्ष के दौरान सरकार से अपेक्षित है कि याचित बकाया गारण्टियों के न्यूनतम $1/5$ की समान राशि तथा वर्ष के दौरा जारी वर्धित गारण्टियों के परिणाम स्वरूप याचित समराशि का अंशदान करें ।

2.पिछला वर्ष से तात्पर्य है कि वर्ष का पहला वर्ष ।